



मंत्रिमण्डल

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी (एसटीसीडब्ल्यू, 78) और उसके संशोधनों के मानकों के प्रावधानों के अनुरूप योग्यता प्रमाणपत्र को पारस्परिक मान्यता के लिए एमओयू को मंजूरी दी

Posted On: 18 JAN 2017 4:30PM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच योग्यता प्रमाणपत्र को पारस्परिक मान्यता के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दे दी है।

प्रस्तावित एमओयू सम्मेलन के विनियमन 1/10 के प्रावधानों के अनुसार, दूसरे देश की सरकार द्वारा जारी किए गए नाविकों की समुद्री शिक्षा एवं प्रशिक्षण, योग्यता प्रमाणपत्र, विज्ञापन, प्रशिक्षण के दस्तावेजी सबूत तथा मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र की मान्यता और नाविकों के प्रशिक्षण एवं प्रबंधन के लिए दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा।

यह एमओयू सुनिश्चित करेगा कि नाविकों की शिक्षा, प्रशिक्षण और आकलन एसटीसीडब्ल्यू सम्मेलन की अपेक्षा के अनुरूप हो। इनके प्रबंधन एवं निगरानी में एसटीसीडब्ल्यू संहिता के अनुसार, प्रत्येक प्रकार के प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन के स्तर शामिल हैं।

AKT/VBA/SH/AS

(Release ID: 1481050) Visitor Counter : 7

